

बिहार सरकार
वित्त विभाग



बाल कल्याण बजट 2020-21

बिहार





बिहार सरकार

बाल कल्याण बजट 2020-21

वित्त विभाग
बिहार सरकार

प्राक्कथन

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य द्वारा निर्मित बजट और आवंटित किए जाने वाले लोक वित्त को बाल कल्याण बजट कहते हैं। बाल बजट निर्माण कोई पृथक् अभ्यास नहीं है। यह मुख्य बजट से बच्चों को लाभान्वित करने वाले कार्यक्रमों पर होने वाले आवंटन एवं व्यय को एक दस्तावेज में संग्रहित करने का अभ्यास है।

बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया वर्ष 2013-14 से शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (UNRC) एवं राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार भी बाल बजट निर्माण के अभ्यास के महत्व को दर्शाया गया है। राज्य का बाल कल्याण बजट, बच्चों की वैधानिक, विधिक और अन्य नीतिगत प्रतिबद्धताओं का लेखा-जोखा है।

बिहार में कुल आबादी का 48 प्रतिशत यानी 4.48 करोड़ बच्चे 0 से 18 वर्ष उम्र समूह में आते हैं। यह कुल आबादी का अत्यंत नाजुक हिस्सा है, जिसके प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है।

देश के 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में बिहार का हिस्सा 11 प्रतिशत है। राज्य के कुल 48 प्रतिशत बच्चों में 47 प्रतिशत (2.35 करोड़) हिस्सा बालिकाओं का है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच बच्चों की आबादी में 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत और बिहार के बच्चों से संबंधित कुछ संकेतक निम्नवत् हैं :

क्र.	संकेतक	भारत		बिहार	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	जनसंख्या (करोड़) (2011)	62.3	58.7	5.4	4.9
2	जनसंख्या (करोड़) (2011) (0-6 वर्ष)	8.57	7.87	0.98	0.92
3	जनसंख्या (करोड़) (2011) (07-18 वर्ष)	16.17	14.58	1.63	1.43
4	लिंग अनुपात (सभी आयु वर्ग) (2011)	1000	943	1000	918
5	बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) (2011)	1000	919	1000	935
6	किशोरावस्था लिंग अनुपात (10-19 वर्ष) (2011)	1000	898	1000	854
7	नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार) (2018)	32	33	30	35
8	5 वर्ष के पहले मृत्यु की दर (प्रति हजार) (2018)	36	37	34	39
9	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका जन्म निबंधित है (%) (2015-16)	79.4	80.1	58.7	62.9
10	विशेष रूप से (एक्सक्लूसिव) स्तनपान करने वाले 6-23 महीने के बच्चे (%) (2015-16)	3.0	2.8	2.5	3.0

क्र.	संकेतक	भारत		बिहार	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
11	12-23 महीने के बच्चे पूरी तरह से प्रतिरक्षित				
	(बीसीजी, खसरा और 3 डोज प्रत्येक पोलियो और डीपीटी) (%) (2015-16)	62.1	61.9	61.7	61.7
12	6-59 महीने के बच्चे जिन में रक्त हीनता है (<11.0 g/dl) (%) (2015-16)	58.3	58.6	32	60
13	5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनमें बौनापन है (वजन के अनुपात में लम्बाई) (%) (2015-16)	21.9	20.1	21.2	20.4
14	5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन कम है (वजन के अनुपात में उम्र) (%) (2015-16)	36.1	35.3	42.8	44.9
15	साक्षरता दर (07-18 वर्ष) (2011)	89.68	86.76	81.66	76.25
16	साक्षरता दर (2011)	80.9	64.6	71.2	51.5
17	सकल नामांकन अनुपात (I-VIII) (2018-19)	95.52	96.72	85.34	89.96
18	सकल नामांकन अनुपात (IX-X) (2018-19)	76.87	76.93	54.78	60.80
19	सकल नामांकन अनुपात (XI-XII) (2018-19)	49.49	50.84	26.44	26.34
20	कुल कर्मी (05-14 वर्ष) (करोड़) (2011)	13.57	12.39	1.51	1.38

स्रोत : 1-6, 15, 16 एवं 20 जनगणना (भारत सरकार), 7, 8 प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, 9-14 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 17-19 डाइस

बालकों के समुचित विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएँ

बाल बजट दस्तावेज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रावधान को इंगित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्य रूप से बालकों के कल्याण एवं विशिष्ट रूप से बालकों के संपूर्ण (शारीरिक एवं मानसिक) विकास के लिए है। इसके लिए विभिन्न विभाग बाल कल्याण केन्द्रित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं।

बिहार सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित कर विभिन्न विभागों के परामर्श से बालकों से संबंधित विपत्र कोडों को चिन्हित किया गया ताकि बालकों के कल्याणार्थ व्यय में पारदर्शिता परिलक्षित हो।

बिहार सरकार के द्वारा बालकों को केन्द्र में रखकर चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की विवरणी निम्नांकित है :-

कला संस्कृति एवं युवा विभाग

वार्षिक खेल कार्यक्रम :

राज्य में खेल का वातावरण तैयार करने, खेलों के प्रति विद्यालय में अध्ययनरत खिलाड़ियों को जागरूक करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में प्रतिभागिता एवं व्यक्तित्व में निखार के साथ विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण के साथ प्रतियोगिता के अवसर को प्रदान करने के लक्ष्य से छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेल कार्यक्रम तैयार की जाती है। विद्यालय खेलों में व्यापक रूप से बदलाव कर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सभी तीनों आयु वर्ग क्रमशः अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 वर्ष (बालक-बालिका) के बिहार दल की 27 खेलों में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के उपरांत खेल विधाओं (बालक/बालिका के तीन आयु वर्ग) में राज्य प्रतियोगिता के आयोजन के उपरांत चयनित राज्य दल का 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की देख-रेख में आयोजित किया गया है, जिसके अत्यधिक साकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल 49 पदक प्राप्त कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया गया है।

एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र :

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत प्रतिभाओं (बालक/बालिका) का चयन कर उन्हें वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध प्रशिक्षण, अत्याधुनिक खेल उपकरण, पौष्टिक आहार, आवासन, चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य के 23 जिलों में 41 प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत है, जिसमें वर्तमान में 30 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है एवं शेष स्वीकृत केन्द्रों को आरम्भ किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के क्रम में प्रत्येक वर्ष बिहार एकलव्य गेम्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न खेलों के राज्य खेल संघों के समान आयु के खिलाड़ियों के साथ समान संख्या में एकलव्य प्रशिक्षुओं के साथ स्पर्धा कराई जाती है जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं।

अब तक एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक 14, रजत पदक 29 एवं कांस्य पदक 20 कुल 63 पदक प्राप्त कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया गया है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना :

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग-1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को दिनांक- 01.04.2012 से निम्न दर से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है:-

छात्रवृत्ति की दर

क्र.	योजना का नाम	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दर (प्रति छात्र)
1	विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से IV)	रु० 50 /- (रुपये पचास प्रतिमाह)
2	विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-V से VI)	रु० 100 /- (रुपये एक सौ प्रतिमाह)
3	विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-VII से X)	रु० 150 /- (रुपये एक सौ पचास प्रतिमाह)
4	विद्यालय छात्रवृत्ति (वर्ग-I से X) (छात्रावास)	रु० 250 /- (रुपये दो सौ पचास प्रतिमाह)

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :

इस योजना के तहत वर्ग-11 एवं उच्चतर कक्षा तथा डिप्लोमा/डिग्री स्तर का मेडिकल/इंजिनियरिंग/प्रबंधन एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर कोर्सों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना से संबंधित दिशा-निर्देश राज्य सरकार की वेबसाइट <http://bcebcwelfare.bih@nic.in> पर उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की पारिवारिक वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रु० 1.00 लाख थी, जिसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रभाव से रु० 1.50 लाख कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से पोस्ट-मैट्रिक योजना के तहत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसमें सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाईन हैं। विस्तृत जानकारी scholarships.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से छात्रवृत्ति का वितरण शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :

राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2008-09 से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹10,000/- (रुपये दस हजार) मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना:

राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार) मात्र तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र ₹10,000/- मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है। पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को यह राशि शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है।

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र योजना:

यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू.पी.एस.सी./बी.पी.एस.सी. एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है। प्रति केन्द्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। सभी जिलों में एक-एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति:

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास:

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को रसोईया-सह-सेवक की सेवाएँ, रोशनी, बर्तन इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना:

वित्तीय वर्ष 2008-09 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक जिला में 100 आसन वाले “जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण योजना” के अंतर्गत छात्रावास निर्माण कराने की योजना प्रारंभ की गयी है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय:

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की

छात्राओं के लिए कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं, जिनमें वर्ग-6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं, जिसका स्वीकृत छात्राबल प्रति विद्यालय 280 है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना :

“मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना” पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के बेरोजगारी दूर करने एवं जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से संचालित है। इस योजना से पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के साथ-साथ राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना :

यह एक नई योजना है एवं इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित हो कर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (रुपये एक हजार) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने का प्रावधान है।

छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना :

यह एक नई योजना है एवं इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क प्रति माह 15 किलो ग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलो ग्राम चावल एवं 6 किलो ग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की जाती है। भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में संबंधित छात्रावासों तक डोर स्टेप डिलीवरी योजना-2016 के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :

वित्तीय वर्ष 2019-20 से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नाम से एक नई योजना की स्वीकृति एवं योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। यह एक राज्य स्कीम है। इस योजना के तहत वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित ₹1.50 लाख से अधिक एवं ₹2.50 लाख तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखनेवाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु शेष मापदंड एवं अर्हताएँ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप ही होगी। इस योजना का क्रियान्वयन भी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की भाँति NSP Portal के माध्यम से कराया जाएगा।

शिक्षा विभाग

किलकारी:

किलकारी द्वारा 9 से 16 आयु वर्ग तक बच्चों की सृजनशीलता को उभारने हेतु स्वस्थ तनावरहित एवं आनन्दमयी वातावरण में उनकी अभिरुचि के अनुसार मंगलवार से शनिवार प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्न है:—

- I. नियमित प्रशिक्षण—** शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, चित्रकला, क्राफ्ट, मूर्तिकला, कराटे, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, शतरंज, विज्ञान, लेखन, नाटक आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- II. प्रकाशन—** किलकारी के बच्चों द्वारा हर माह बाल किलकारी नामक मासिक अखबार बच्चों से संबंधित किताबें ब्रोशर, मॉड्यूल इत्यादि सामग्री की प्रकाशन की योजना।
- III. गुल्लक (बच्चा बैंक)—** बच्चों द्वारा बचत की जाने वाली राशि की जमा योजना।
- IV. फोटोग्राफी—बच्चों में देखने-समझने के नजरियों को विकसित करने की योजना—** वर्तमान में बच्चों बिहार की गुफाओं का शैक्षणिक भ्रमण कर फोटोग्राफी कर रहे हैं। इसके उपरान्त पुस्तक निर्माण की योजना।
- V. चलंत पुस्तकालय—** बाल भवन की गतिविधियों से सरकारी विद्यालयों एवं स्लम के बच्चों को जोड़ने की योजना।
- VI. पुस्तकालय (मस्ती की पाठशाला)—** बच्चों के बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय का संचालन किया जा रही है।
- VII. किलकारी की शाखाएं—** प्रमंडल स्तर पर 2 बाल भवनों गया तथा भागलपुर की स्थापना, जिससे बिहार के अन्य बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सके।
- VIII. किलकारी के वार्षिक आयोजन—** बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव, समर कैंप, बालश्री, राष्ट्रीय बाल लोक नृत्य महोत्सव आदि का योजना।
- IX. किलकारी की अन्य परियोजनाएं—**
 - (क) टाटा दोराबजी के फंड से पटना के सरकारी विद्यालयों में तथा अन्य जिलों कैमूर, सहरसा, गया मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, धरहरा में तीन-तीन घंटे बाल केन्द्र का संचालन।
 - (ख) यूनिसेफ के सहयोग से वैशाली जिले में बाल संसद परियोजना का संचालन। आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चे कला के क्षेत्र में आगे बढ़कर बिहार का नाम रौशन कर रहे हैं।

निजी विद्यालय में निर्धन एवं मेधावी छात्रों के शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन योजना:

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को राशि प्रतिपूर्ति की जाती है। जिसके कारण निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे निर्धन तथा गरीब बच्चों निशुल्क अथवा कम शुल्क पर पढ़ाई कर सके।

प्राथमिक विद्यालय अन्तर्गत मुख्यमंत्री पोशाक योजना:

मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत

छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।

प्राथमिक विद्यालय अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को रु. 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।

मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण :

छात्र/छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक, मध्य एवं कन्या विद्यालय को प्रति वर्ष 20,000/- रु. शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक-सह-मानसिक विकास होता है।

मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना :

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम् में अध्ययनरत सामान्य कोटि के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र रु. 3,000/- राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुँच सकें। इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है तथा समय अपव्यय से रहित हो छात्र/छात्राएँ अध्ययन की ओर अधिकाधिक उन्मुख हुए हैं।

मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना :

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम् में अध्ययनरत सभी धर्म/जाति के बालिकाओं को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र रु. 3,000/- (तीन हजार रु०) मात्र राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुँच सकें। इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है तथा समय अपव्यय से रहित हो छात्र/छात्राएँ अध्ययन की ओर अधिकाधिक उन्मुख हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट (उत्क्रमित सहित)/ अल्पसंख्यक/अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इंटर महाविद्यालयों में छात्राओं को साईकिल क्रय हेतु जिलों को राशि उपलब्ध करायी जाती है।

बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं को रु. 1,500/- वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके। राज्य योजना मद से राज्य के अंगीभूत/संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय/राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उत्क्रमित सहित/अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों में नवम् से बारहवीं कक्षा के छात्राओं को RTGS के माध्यम राशि उपलब्ध करायी जाती है।

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना (मैट्रिक प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति) :

मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को रु. 10,000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में उन्मुख हो सकें एवं अंतरस्नातक की पढ़ाई भी इस

योजना द्वारा कर सके और इसके लिए वे परिवार पर आंशिक रूप से ही निर्भर रहें। सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के 39,023 छात्राओं के लिए RTGS के माध्यम से राशि हस्तान्तरिक की गई है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट (उत्क्रमित सहित)/अल्पसंख्यक अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं 9 से 10 तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत कुल 1,40,597 छात्राओं को प्रतिमाह 150/- (एक सौ पचास) रुपये मात्र RTGS के माध्यम से हस्तांतरित की गई है।

राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण तथा बालिका छात्रावास योजना :

आर्थिक रूप से पिछड़े प्रत्येक प्रखंड में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण एवं प्रत्येक प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर मॉडल स्कूल विकसित किया जा रहा है। साथ ही राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु राशि मुहैया की जा रही है ताकि पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण भवन का पुनर्निर्माण/मरम्मत की जा सके एवं अध्ययनरत बालिकाएं उन्मुक्त वातावरण में पढ़ाई कर सकें।

आई. सी. टी. परियोजना :

कक्षा 09 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। आज कम्प्यूटर शिक्षा प्रणाली बच्चे की मूलभूत आवश्यकता है।

मध्य विद्यालय की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान :

मध्य विद्यालयों को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान दिया जाता है। बालिकाएं आत्म-स्वावलंबन एवं आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षित होकर अध्ययन कर रही हैं।

बिहार सबजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग :

जूनियर बालक/बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स हेतु सबजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम हेतु अनुदान दी जाती है। प्राथमिक शिक्षान्तर्गत वार्षिक खेल बालक/बालिकाओं हेतु शैक्षणिक सेमिनार आयोजित की जाती है।

हुनर :

राज्य सरकार की इस योजना के द्वारा डोमेन स्क्रीलिंग के तहत माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत छात्र/छात्राओं में हुनर का विकास किया जा रहा है।

उन्नयन कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के द्वारा ऑन लाईन अध्ययन की सुविधा स्मार्ट क्लास तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं से युक्त विद्यालय को सुसज्जित कर छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन कराने की योजना है। राज्य के चिह्नित विद्यालयों में 45-56 इंच का स्मार्ट टी.वी. एवं अन्य सामग्रियों का क्रय किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना :

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना द्वारा संचालित शिक्षा विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण) के तहत अंतर स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रोत्साहन के रूप में राशि RTGS द्वारा उनके खाते में उपलब्ध करायी जाती है। बिहार विद्यालय परीक्षा छात्रवृत्ति अंतर्गत 1,15,704 छात्रों को RTGS के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई है।

प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्तियाँ:

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 1 से 4 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को रु. 50/—प्रति माह अर्थात रु. 600/—वार्षिक, कक्षा 5 से 6 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को रु. 100/— प्रति माह अर्थात रु. 1,200/— वार्षिक, तथा कक्षा 7 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को रु. 150/—प्रति माह अर्थात रु. 1,800/—वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे अध्ययन के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री क्रय कर सकें।

किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना:

इस योजना द्वारा 12 वर्ष से अधिक उम्र की विद्यालयों में नामांकित सभी बालिकाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में सामान्य जानकारी एवं माहवारी स्वास्थ्य तथा प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही माहवारी चक्र के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षिकाओं के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन क्रय करने हेतु रु. 300/—प्रति वर्ष उपलब्ध कराकर उसके निस्तार के संबंध में जानकारी दी जा रही है। बिहार सरकार की इस योजना ने लड़कियों के मस्तिष्क से रुढ़िवादिता, जड़ता एवं संकोचपन बहुत हद तक दूर कर दिया है।

मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना:

मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अन्तर्गत राजकीय/राजकीकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक परिभ्रमण हेतु प्रति विद्यालय 20,000/—(बीस हजार रु.) मात्र की दर से प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराती है। सरकार के इस योजना का उद्देश्य छात्र/छात्राओं में शैक्षणिक, व्यवहारिक एवं मानसिक ज्ञान में संतुलन बढ़ाना है। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं पौराणिक स्थलों के भ्रमण से उनमें आत्मविश्वास ज्ञान का बहुत अधिक विकास हो रहे हैं।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड:

जो बच्चे अपरिहार्य कारणवश मैट्रिक परीक्षा/इंटर में शामिल नहीं हो पाते हैं, वे बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड में शामिल होकर उच्च शिक्षा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं।

शिक्षा भवन निर्माण:

प्रत्येक जिला में एक शिक्षा भवन के निर्माण हेतु क्रमवार जिलों का चयन करते हुए शिक्षा भवन निर्माण की योजना है, ताकि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में अध्ययनरत बालकों एवं बालिकाओं को इस निर्मित शिक्षा भवन में समस्याओं से निजात दिलाया जा सके।

सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय:

सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में वर्ग छः से मैट्रिक तक पढ़ाई कराई जाती है। उसे मूलभूत सुविधाओं से उक्त तथा जीर्ण शीर्ण विद्यालय की मरम्मत एवं कक्ष का निर्माण आदि हेतु शीर्ष में राशि उपबंधित कराई गई है ताकि, छात्र प्रतिभायुक्त होकर अपने गांव, अपने जिला और अपने राज्य का नाम ऊँचा कर सकें। जमुई स्थित सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के 16 बच्चों ने बिहार बोर्ड 2019 के टॉप 10 में स्थान बनाया। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में वर्ग 6 से वर्ग 10 तक प्रत्येक वर्ग में 60-60 बालक/बालिका अध्ययन करते हैं।

मॉडल स्कूल:

प्रमंडलीय स्तर पर मॉडल स्कूल की स्थापना हेतु विद्यालयों को चिह्नित करते हुए उसे अधिकाधिक सुविधायुक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है।

शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव:

शिक्षा दिवस जो भारत के प्रथम अबुल कलाम आजाद दिवस पर मनायी जाती है, का मुख्य उद्देश्य इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का प्रचार प्रसार तथा उनके सर्व धर्म सद्भाव के संदेश को बच्चों, शिक्षकों एवं आम लोगों के बीच पहुँचाना है। साथ ही इसी मद अन्तर्गत अन्य प्रकार के शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

प्राथमिक विद्यालय वाटर हारवेस्टिंग निर्माण योजना:

जल-जीवन-हरियाली योजना अन्तर्गत राज्य के 3,125 चिह्नित मध्य विद्यालयों में वर्षा जल संचय के लिए भौतिक संरचना निर्माण हेतु प्रति मध्य विद्यालय 80,000/- रुपये की दर से आवंटन दी जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.):

पंचायती राज/नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक एवं उत्कर्मित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत कुल 2,74,681 (दो लाख चौहत्तर हजार छः सौ इक्कासी) शिक्षक को जो समग्र शिक्षा अभियान से अच्छादित है, का वेतन भुगतान हेतु राशि बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक को उपलब्ध करायी जाती है।

केन्द्र प्रायोजित यह योजना स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) प्री-स्कूल से वर्ग 8 तक अध्ययनरत बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु 40:1 में बच्चों एवं शिक्षक के अनुपात हेतु कृत संकल्प के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

मध्याह्न भोजन योजना:

राज्य सरकार द्वारा बच्चों को “स्वस्थ तन स्वस्थ मन” के आधार पर केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सप्ताह में एक दिन अंडा/मौसमी फल बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। इस मद में उपलब्ध राशि द्वारा खाद्यान्न, रसोइया-सह-सहायक के मानदेय, परिवहन-सह-हथालन आदि व्यय की जाती है। वर्तमान में कुल कार्यरत रसोइया-सह-सहायक की संख्या 2,21,550 (दो लाख इक्कीस हजार पाँच सौ पचास) संख्या है। इससे वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या 1,09,96,083 (एक करोड़ नौ लाख छियानवें हजार तिरासी) है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान:

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है एवं भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत राशि के अन्तर्गत विमुक्त केन्द्रांश के समानुपातिक राज्य के राज्यांश की विमुक्ति का प्रावधान है। समग्र शिक्षा के तहत प्राप्त सहायक अनुदान की राशि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को उपलब्ध करायी जाती है। उत्कर्मित मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान इसी मद से दिया जाता है। इस योजना द्वारा विद्यार्थी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों राशि व्यय करती है एवं शिक्षक तथा छात्र का अनुपात 01:40 में लाने हेतु सरकार कटिबद्ध है।

अध्यापक शिक्षा संस्थान :

समग्र शिक्षा अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित यह योजना 60:40 में केन्द्र और राज्य सरकार राशि व्यय करती है। यह कक्षा 10+2 में अध्ययनरत छात्रों के लिए संचालित योजना है। जिसके तहत विद्यालय में अध्यापन हेतु शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन साक्षर भारत :

वैसे छात्र जो अभी भी विद्यालय शिक्षा से दूर है, को विद्यालय शिक्षा से जोड़ने के लिए साक्षर भारत योजना चलायी जा रही है। इससे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के अलावा 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे भी लाभान्वित होते हैं, जिसके कारण अब लगभग शत प्रतिशत बच्चें विद्यालयी शिक्षा से जुड़ चुके हैं।

राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय नियमित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान :

राज्य के प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत प्रखंड एवं पंचायत नगर निकायों में राज्य के राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों/राजकीयकृत उच्च विद्यालयों, परियोजना उच्च विद्यालय, कन्या उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए वेतन एवं अन्य मद में सरकार राशि आवंटित करती है। जिससे विद्यालयों में नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है।

गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता :

राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विधिवत् रूप से कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए वेतनादि भुगतान हेतु राशि व्यय की जाती है।

प्राथमिक विद्यालय में नगर/प्रखंड/पंचायत नियोजित शिक्षकों का वेतन :

संविधान की धारा 21 क के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। इसलिए 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 करने तथा राज्य के सभी बच्चों को विद्यालय के अंदर लाने के लिए और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 3.23 लाख पंचायत / प्रखंड/नगर शिक्षकों का नियोजन किया गया है। इनमें से 66,104 नगर प्रखंड एवं पंचायत शिक्षक का वेतन भुगतान स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य सरकार की निधि से दिया जा रहा है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत नियमित शिक्षक वेतन भुगतान :

राज्य के माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में राज्य के राजकीय उच्च विद्यालयों/राजकीयकृत उच्च विद्यालयों, परियोजना उच्च विद्यालय, कन्या उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए वेतन एवं अन्य मद में सरकार राशि आवंटित करती है। जिससे विद्यालयों में नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है।

बिहार के बाहर सैनिक विद्यालय में अध्ययनरत बिहारी बालकों को अनुदान योजना :

सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्री भारत सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में सैनिक स्कूल नालन्दा एवं गोपालगंज तथा बिहार राज्य के बाहर अध्ययन कर रहे बच्चों को छात्रवृत्ति, कपड़े धुलाई, पोषाहार एवं अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए राज्य सरकार अनुदान देती है।

माध्यमिक बहुदेशीय अल्पसंख्यक विद्यालय :

राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय में विधिवत् रूप से बच्चों के पठन-पाठन हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान पर राशि व्यय की जाती है।

वित्तरहित विद्यालय को अनुदान योजना :

राज्य के वित्तरहित उच्च विद्यालयों में बच्चों के पठन-पाठन हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए बिहार सरकार विद्यालयों को अनुदान देती है।

नियोजित माध्यमिक शिक्षक :

राज्य के माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में राज्य के राजकीय उच्च विद्यालयों/राजकीयकृत उच्च विद्यालयों, परियोजना उच्च विद्यालय, कन्या उच्च विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन भुगतान हेतु सहायक अनुदान वेतन के रूप में राज्य सरकार राशि आवंटित करती है। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 करने तथा राज्य के सभी बच्चों को विद्यालय के अंदर लाने के लिए और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/जिला परिषद द्वारा शिक्षकों का नियोजन किया गया है।

इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा) :

बिहार राज्य के 33 जिलों में अवस्थित 91 इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा) स्तर के व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालय संचालित है। ऐसे विद्यालयों में छात्रों को स्वावलंबित एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास हेतु अध्ययन कराया जाता है।

गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय :

राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 (332+199) एवं अराजकीय प्रस्वीकृत 86 प्रतिकूल संस्कृत विद्यालय के प्रस्वीकृति विद्यालय में बच्चों के पठन-पाठन हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान पर राशि व्यय की जाती है।

मदरसा इसलामियां समसूल होदा :

बिहार राज्य में मदरसा इसलामियां समसूल होदा स्थापित है। जिसमें प्राचार्य को इसमें कार्यरत कर्मियों को वेतन भुगतान हेतु राशि आवंटित की जाती है। यहाँ बच्चे आवासित होकर सुचारु रूप से अध्ययन करते हैं और महत्वपूर्ण विषयों में गहन अध्ययन करते हैं।

गैर सरकारी मदरसा :

राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1,128 मदरसा एवं 2,459+1 कोटि के मदरसा अन्तर्गत विधिवत् रूप से नियुक्त कर्मियों को विभागीय संकल्प द्वारा वेतनानुदान का लाभ प्रदान किया गया है। इसके द्वारा मूल वेतन तथा अद्यतन मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाता है। यहाँ बच्चे सुचारु रूप से गहन अध्ययन करते हैं।

प्रशिक्षण महाविद्यालय :

राज्य के मान्यता प्राप्त 33 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाएट) में प्रति संस्थान 6 सुरक्षा प्रहरी, 27 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों/प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 4 सुरक्षा प्रहरी एवं 6

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में प्रति संस्थान 4 सुरक्षा प्रहरी अर्थात् 66 प्रशिक्षण संस्थानों में अध्यापन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि वो अध्यापन कार्य में निपुण हो सके और बच्चों को सही ढंग से गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई दी जा सके।

बिहार राज्य पुस्तकालय प्राधिकार/उर्दू लाइब्रेरी एवं विभिन्न पुस्तकालय :

राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के अध्ययन हेतु पुस्तकालय की स्थापना की गयी है। राज्य सरकार द्वारा उक्त पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु सहायक अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

गृह विभाग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार उत्तरजीविका विकास, संरक्षण और भागीदारी बच्चों के चार मूल अधिकार हैं। बिहार में भी “बाल बजट” प्रस्तावित है। बिहार पुलिस “बाल संरक्षण” यथा बाल श्रमिक, निःशक्त बच्चे, आपदा प्रभावित बच्चे, विवाद प्रभावित बच्चे, बाल वेश्याएं, वेश्याओं के बच्चे, लावारिस बच्चों के उत्थान एवं मानव व्यापार के जोखिम से असुरक्षित बच्चे एवं किशोर अपराधी के निदान हेतु सतत प्रयासरत है।

श्रम संसाधन विभाग

सरकार के द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार हैं—

1. बाल श्रम (14 वर्ष से कम आयु वर्ग के) सभी प्रकार के नियोजनों में प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपने परिवार अथवा पारिवारिक व्यवसाय में स्कूल अवधि के उपरान्त सहयोग प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते उनकी स्कूली शिक्षा पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह सहयोग किसी प्रकार का नियोजन नहीं माना जायेगा एवं बच्चों एवं उनके अभिभावकों के बीच नियोजित-नियोक्ता का संबंध नहीं होगा।
2. नये अधिनियम में एक नयी कोटि “किशोर” जिनकी आयु 14–18 वर्ष की होगी, शामिल किया गया है। किशोरों के नियोजन को खतरनाक पेशों एवं प्रक्रियाओं में प्रतिषेध किया गया है तथा शेष नियोजनों में उनके कार्यों को पूर्व के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।
3. नये अधिनियम में बाल श्रम नियोजित किये जाने को संज्ञेय अपराध का दर्जा दिया गया है। साथ ही दंड को और अधिक कठोर किया गया है। बाल श्रमिकों को नियोजित किये जाने पर न्यूनतम 6 महीने तक का कारावास जो अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकता है, साथ ही न्यूनतम 25,000 /— (पच्चीस हजार रुपये) तक का आर्थिक दंड जो अधिकतम 50,000 /— (पचास हजार रुपये) तक हो सकता है, का प्रावधान है।
4. राज्य सरकार द्वारा जिलों में बाल एवं किशोर श्रम पुर्नवास कोष का गठन किया जायेगा। इस कोष में दोषी नियोजकों से दंडस्वरूप वसूली गयी राशि संचित की जायेगी, साथ ही राज्य सरकार के तरफ से भी विमुक्त प्रति बाल अथवा किशोर श्रमिक 15,000 /— जमा किये जायेंगे। संचित अथवा निवेश की गई राशि का ब्याज विमुक्त बाल अथवा किशोर श्रमिक को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. 12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा

Child Labour Tracking System (CLTS) का अनावरण किया गया। बाल श्रमिकों के पुनर्वास के दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। Child Labour Tracking System (CLTS) एक Web Based Tracking System है, जिसके माध्यम से विमुक्त बाल श्रमिकों के आर्थिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास का अनुश्रवण संभव हो सकेगा। उक्त दिवस को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गयी कि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक जिनका विवरण Child Labour Tracking System (CLTS) में दर्ज होगा, उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति बाल श्रमिक ₹25,000/- की राशि प्रदान की जायेगी। वर्तमान में यह राशि सावधि जमा योजना (Annuity Scheme) के रूप में विमुक्त बाल श्रमिक को प्रदान की जा रही है।

अवधि	राज्य से विमुक्त	अन्य राज्यों से विमुक्त	पात्र विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	मुख्यमंत्री राहत कोष से लाभान्वित बाल श्रमिकों की संख्या	अभ्युक्ति
01.04.2014 से 20.01.2020	3,859	1,945	2,134	1,530	कुल-₹3,82,50,000/- (तीन करोड़ बिरासी लाख पचास हजार) की राशि सावधि जमा योजना के तहत अब तक प्रदान की गयी है।

बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा-3 के अनुसार 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु पूरे राज्य में धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रमिकों की विमुक्ति जारी है। विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को एक माह के राशन हेतु ₹2,300/- (दो हजार तीन सौ), वस्त्र हेतु ₹500/- (पाँच सौ), आवश्यकतानुसार आहारपथ्य हेतु ₹100/- (एक सौ) एवं दवा हेतु ₹100/- (एक सौ) अर्थात् कुल ₹3,000/- (तीन हजार) का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार प्रति विमुक्त बाल श्रमिक ₹5,000/- की दर से जिलों में स्थापित बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में राशि जमा कराया जा रहा है। नियोजक द्वारा ₹20,000/- बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा किया जाता है।

बाल श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए CLTS (Child Labour Tracking System) नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है साथ ही प्रत्येक विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से रु. ₹25,000/- प्रति विमुक्त बाल श्रमिक को राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस योजना के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु एक व्हॉट्सएप्प नं-9471229133 जारी किया गया है।

विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यावसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन:

- (क) राज्य में विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन निविदा के माध्यम से चयनित गैर सरकारी संगठनों से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। गैर सरकारी संगठनों को केन्द्र खोलने की तिथि से प्रथम तीन वर्षों के लिए केन्द्र संचालन की अनुमति दी गई है।
- (ख) विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों में बाल श्रम से विमुक्त 6 से 14 साल के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रखा जायेगा। इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही इन केन्द्रों

में रखा जाना है। यह केन्द्र आवासीय है एवं विमुक्त बाल श्रमिकों को उनके शैक्षणिक स्थिति के अनुसार ब्रिज कोर्स उपलब्ध कराकर उनको मुख्यधारा के विद्यालयों से जोड़ने का कार्य संबंधित केन्द्र द्वारा किया जाना है। साथ ही अगर विमुक्त बाल श्रमिक व्यवसायिक शिक्षा में रुचि रखता हो तो ऐसे बाल श्रमिकों को 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा। इन केन्द्रों में विमुक्त बाल श्रमिकों के सभी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। विमुक्त बाल श्रमिकों के स्वस्थ एवं सुरक्षित बचपन के साथ उनका सर्वांगीण विकास ही इन केन्द्रों का प्रमुख लक्ष्य है।

- (ग) राज्य में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु गया, नवादा, नालंदा, पटना, बांका, सीतामढ़ी एवं जमुई को पायलट जिले के रूप में चयन कर सम्प्रति पटना, गया, जमुई एवं बांका जिले में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:

केन्द्रीय पोस्ट मैट्रिक योजनान्तर्गत बिहार का कोटा निर्धारित है, जबकि कुल योग्य आवेदनों की संख्या निर्धारित कोटे से ज्यादा होती है। इस प्रकार बड़ी संख्या में योग्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह जाते हैं जिसे राज्य सरकार अपनी योजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2017-18 से प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना:

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक प्रथम श्रेणी एवं बिहार मदरसा बोर्ड से फोकानियाँ परीक्षा से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं एवं बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा में एक विषय के रूप में बंगला भाषा रख कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय छात्रवृत्ति स्कीम (प्री- मैट्रिक एवं पोस्ट- मैट्रिक छात्रवृत्ति):

केन्द्र प्रायोजित प्री- मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में आर्थिक सहयोग करना है। भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे लाभार्थियों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाता है। बजट में दर्शाई गई राशि प्रशासनिक व्यय मद के लिए है। राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से प्रशासनिक मद में राशि व्यय की जा रही है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के अंतर्गत विभाग द्वारा कुल 56,079 वार्डों में “हर घर नल का जल” योजना के तहत पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण करते हुए गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है। इन सभी पेयजलापूर्ति योजनाओं में बाल कल्याण के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 15 प्रतिशत अनुमानित है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पटना में संजय गाँधी जैविक उद्यान के अतिरिक्त विभाग द्वारा 06 प्रमुख पार्क अनुरक्षित किये जा रहे हैं :

1. शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क
2. नवीन सिन्हा स्मृति पार्क
3. पुनाईचक पार्क
4. शिवाजी पार्क
5. श्रीकृष्णापुरी पार्क एवं
6. श्री कृष्णनगर पार्क

गया वन प्रमंडल अंतर्गत बुद्ध विहार वाटिका एवं जे.पी. वाटिका अनुरक्षित किये जा रहे हैं। अररिया जिला अंतर्गत पूर्णियाँ-अररिया पथ एन.एच.-57 के किनारे कुसियारगाँव जैव विविधता पार्क अनुरक्षित किये जा रहे हैं।

इन सभी पार्कों में बाल-क्रीड़ा के उपकरण एवं साधन लगाये गये हैं। सामान्यतः इन पार्कों में कुल आगन्तुकों के लगभग 10 प्रतिशत बच्चे रहते हैं। इनके अतिरिक्त जिला जमुई के चकाई प्रखंड में माधोपुर ईको-पार्क तथा जिला बाँका के अमरपुर प्रखंड में सुपहा ईको पार्क को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।

अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग

बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण :

अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग के तहत अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा 85 आवासीय विद्यालय संचालित है। आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत एवं आवासित छात्र/छात्राओं की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए विविधतापूर्ण पौष्टिक भोजन का मीनू (Menu) प्रस्तावित है। सभी आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सी.सी.टी.वी., शुद्ध पेय-जल उपलब्ध कराने हेतु RO Water Purifier, कौशल विकास हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से रसोईया, साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

बच्चों का शिक्षा एवं विकास :

छात्रवृत्ति योजना- वर्ग 1 से 10 तक विद्यालय में पढ़ने वाले अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं तथा मुसहर/भुईयों के बच्चों को उच्च दर पर छात्रवृत्ति देने का योजना है। अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति दिया जाता है। छात्रवृत्ति का वितरण शिक्षा विभाग के माध्यम से 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर दिया जाता है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री अनु. जाति एवं अनु. जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत ₹10,000/- (दस हजार रु.) एवं ₹8,000/- (आठ हजार रु.) प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है।

उसी प्रकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्राओं को क्रमशः ₹15,000 / – एवं ₹10,000 / – प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।

आवासीय विद्यालय संधारण– अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 85 आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु विस्तृत संचालन अनुदेश निर्गत किए गए हैं (विभागीय पत्रांक–4681 दिनांक–15.07.2016) जिसमें पठन–पाठन, दिनचर्या, वार्षिक उत्सव, वाद–विवाद प्रतियोगिता के साथ–साथ विद्यालय अनुशासन संबंधी अनुदेश भी निर्गत किए गए हैं।

छात्रावास संधारण– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 111 छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उपस्कर, रसोइया–सह–सेवक की सेवाएँ, रोशनी, बर्तन इत्यादि सुविधाएँ सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रत्येक छात्रावास में एक छात्रावास अधीक्षक भी होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा मानदेय के रूप में अधीक्षक भत्ता दिया जाता है और जिन पर छात्रावास के संचालन का उत्तरदायित्व रहता है। संचालित छात्रावासों में छात्रों के उपयोग हेतु तौलिया, बेडसीट, कम्बल, तकिया, कॉट, मच्छरदानी, मेट्रेस, स्टडी टेबल, खाना खाने एवं बनाने का बर्तन आदि की आपूर्ति की जाती है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान– इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000 / – (एक हजार रु.) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है।

खाद्यान्न आपूर्ति योजना– इस योजना के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को कुल 15 किलो (6 किलो गेहूँ एवं 9 किलो चावल) खाद्यान्न की आपूर्ति प्रति माह की जाती है।

परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति– अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु राशि दी जाती है।

समाज कल्याण विभाग

समेकित बाल विकास सेवा :

वर्ष 1975 से प्रारंभ हुई 'समेकित बाल विकास सेवा योजना' एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा सर्वव्यापी समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के बहुआयामी तथा पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगर तथा कम लागत पर सेवाएँ दी जाती हैं।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समेकित रूप से निम्नलिखित छः सेवाओं द्वारा 0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है :

- पूरक पोषण
- प्री–औपचारिक शिक्षा
- पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा
- टीकाकरण

- स्वास्थ्य जाँच और
- रेफरल सेवाएं

राज्य के सभी जिलों में जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं सभी प्रखंडों में 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय स्वीकृत एवं संचालित हैं।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम:

राज्य में कुल स्वीकृत 1,14,718 आँगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी मान्य/कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती/शिशुवती (धातृ) महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG/SABLA):

इस योजना के तहत 11 वर्ष से 14 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है। भारत सरकार से केन्द्रांश एवं राज्यांश में गैर-पोषण (60:40) एवं पोषण मद (50:50) का अनुपात निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं को पोषाहार, आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोली, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय पोषण अभियान (ISSNIP/NNM):

इस योजना द्वारा आई.सी.डी.एस. के माध्यम से बच्चों की प्री-स्कूल शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार, सामूहिक सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में किया जा रहा है।

योजना का मुख्य उद्देश्य:

1. विभिन्न विभागों यथा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, पी.एच.ई.डी. इत्यादि से समन्वयन स्थापित करते हुए वर्ष 2022 तक 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों में बाधित विकास को 38 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम करना है।
2. बच्चों के कुपोषण दर में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत एवं किशोरी एवं महिलाओं के एनीमिया दर में प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य है।
3. आई.सी.डी.एस. सेवाओं की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु एक सशक्त, सक्षम तथा सुगम अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली राज्य के सभी 38 जिलों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। आई.सी.डी.एस.-कैश के माध्यम से आँगनवाड़ी केन्द्रों पर होने वाले गतिविधियों का संधारण मोबाईल-ऐप के द्वारा किया जा रहा है। डैशबोर्ड के माध्यम से सभी स्तरों पर आँगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधि का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुगमतापूर्वक किया जाता है।
 - समुदाय में पोषण के प्रति जागरूकता एवं व्यवहार में परिवर्तन कर स्वस्थ आदतों को अपनाये जाने हेतु क्रमिक रूप से 'सतत क्षमता विकास' पद्धति के अन्तर्गत क्रमिक क्षमता विकास प्रक्रिया (ILA) अंतर्गत Module.1 से 15 तक का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित कर लिया गया है। इस गतिविधि से क्षेत्रीय स्तर पर आँगनवाड़ी सेविकाओं, आशा एवं ANM का क्षमतावर्द्धन किया गया है, जिसके कारण उनकी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी हुई है।

- समुदाय आधारित गतिविधि के अन्तर्गत बच्चों में होने वाले कुपोषण की दर से कमी लाने के लिए प्रत्येक माह के 19वी. तिथि को “अन्नप्रासन” एवं मातृपोषण व उनसे होने वाले शिशु के बेहतर पोषण के लिए प्रत्येक माह के 7वी. तारीख को “गोदभराई” दिवस का आयोजन किया जाता है।

नवाचार/अभिनव प्रयोग:

अग्रगामी परियोजना के रूप में राज्य में 11 अभिश्रव प्रयोग किया जा रहे हैं, जिसमें पोषण अभियान के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अतिकुपोषित बच्चों का समुदाय स्तर पर प्रबंधन, पोषण वाटिका के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषित खाद्य सामग्री की उपलब्धता एवं लाभार्थियों तक पहुँच, समुदाय रेडियो के माध्यम से जन-सामान्य तक पोषण के संदेशों को पहुँचाना तथा बच्चों में ऊपरी आहार को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री पर जागरूकता जैसे विषयों के माध्यम से अभिनव प्रयोग किये जा रहे हैं। यह अभिनव प्रयोग राज्य के 10 जिलों में क्रियान्वित है।

प्रोत्साहन:

पोषण अभियान के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविकाओं को 60 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य का गृह भ्रमण, 60 प्रतिशत बच्चों का लक्षित समूह का वजन लेने पर प्रतिमाह ₹500/- (पाँच सौ रुपये) सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि तथा सहायिकाओं को न्यूनतम 21 दिन आँगनबाड़ी केन्द्र जाने पर ₹250/- (दो सौ पचास रुपये) प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

ICDS - CAS:

पोषण अभियान के तहत राज्य में संचालित सभी गतिविधियों को प्रतिवेदन का संधारण आँगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मोबाईल एप के माध्यम से शत-प्रतिशत किया जाता है। राज्य के सभी 38 जिलों में ICDS - CAS संचालित किया जा रहा है।

क्रमिक क्षमता विकास प्रक्रिया (ILA):

सतत सीख प्रणाली के तहत क्रमिक क्षमता विकास (ILA) प्रशिक्षण 21 मॉड्यूल के माध्यम से सभी स्तर पर (राज्य, जिला, परियोजना, सेक्टर एवं आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर तक) क्षमता संवर्द्धन किया जाता है। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित 21 मॉड्यूलों को सुगमतापूर्वक उन्मुखीकरण के लिए डिजिटल किया गया है। राज्य के सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं आँगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन में एप के माध्यम (e-ILA) से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

समुदाय आधारित गतिविधि (CBE):

समुदाय आधारित गतिविधि के अन्तर्गत प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र में प्रतिमाह 19 तारीख को अन्नप्रासन एवं 7वीं. तारीख को गोदभराई गतिविधि का संचालन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत गर्भवती एवं धातृ माताओं को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित परामर्श प्रदान किया जाता है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।

आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना:

आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण आई.सी.डी.एस. तथा मनरेगा योजना के अभिसरण से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ₹7.00 (सात) लाख के स्वीकृत प्राक्कलन में ₹5.00 (पाँच) लाख ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना से एवं शेष ₹2.00 (दो) लाख आई.सी.डी.एस. से व्यय किया जाना है। आई.सी.डी.एस.

से दी जाने वाली राशि ₹2.00 (दो) लाख में से ₹1.20 (एक लाख बीस हजार) भारत सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात प्रतिपूर्ति की जानी है। भारत सरकार के निदेशानुसार सभी संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (NCS):

भारत सरकार के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से इस नई योजना का संचालन आई.सी.डी.एस. निदेशालय अन्तर्गत किया जाता है। क्रेच एक सुविधा है जहाँ काम-काजी महिलाएँ माह में न्यूनतम 15 दिन अपने 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को रख कर अपने कार्य हेतु जा सकती है। क्रेच में बच्चों की देखभाल, सम्पूर्ण विकास के साथ-साथ पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार की सुविधा दी जाती है।

आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना:

राज्य के बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्री-स्कूल शिक्षा प्राप्त कर रहें 03 से 06 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चों को ₹400/- की दर से पोशाक उपलब्ध करायी जाती है।

समेकित बाल संरक्षण योजना:

बाल अधिकार, बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के लिए राज्य में समेकित बाल संरक्षण का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति के संचालन पर होने वाले व्यय में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 35 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अवयवों में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है तथा गैर सरकारी संस्थाओं का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाले महत्वपूर्ण घटकों एवं कार्यक्रमों की विवरणी अगले पृष्ठ पर अंकित है:

- **राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS)** – समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत इकाई राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जाता है।
- **राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA)** – इसका मुख्य उद्देश्य अनाथ, परिष्कृत एवं अभ्यर्पित बच्चों जो अपने माता-पिता/वैधिक अभिभावक से पूर्णतः अलग हो चुके हों, को देशीय एवं अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनः परिवार एकीकृत कराना है। दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करती है तथा राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थानों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करती है।
- **जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)** – जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं कार्यरत इकाईयों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु बाल संरक्षण इकाई कार्यरत है एवं इसके नोडल पदाधिकारी सहायक निदेशक, बाल संरक्षण हैं, जिनकी स्थायी नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 2 बाल संरक्षण पदाधिकारी, परामर्शी की नियुक्ति की गयी है।
- **बाल गृह (Children's Home)** – बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा-50 के आलोक में 06 से 18 वर्ष आयु समूह के निराश्रित परिष्कृत परिवार विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास (पारिवारिक पुनर्मिलन, दत्तकग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि) तक आवासित करने के लिए सरकार द्वारा

पटना में दो (बाल गृह, अपना घर एवं बालिका गृह, निशांत) एवं बेगूसराय जिले में एक (बाल गृह, बसेरा) अर्थात् कुल तीन बाल गृहों का संचालन पूर्व से किया जा रहा है। शेष बाल गृह स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं।

- **पर्यवेक्षण गृह (Observation Home)** – किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-50 के आलोक में वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 38 पर्यवेक्षण गृहों (जो विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामले की सुनवाई तक आवासित करने के लिए) के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। वर्तमान में बिहार के 14 जिलों यथा— पटना, भोजपुर, गया, जमुई, नालंदा, मधेपुरा, छपरा, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, अररिया एवं पूर्वी चम्पारण में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों हेतु पर्यवेक्षण गृह का संचालन किया जा रहा है।
- **विशेष गृह (Special home)** – किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-48 के आलोक में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के दोष सिद्ध होने पर उन्हें विशेष गृह में रखे जाने का प्रावधान है। एक विशेष गृह पटना में संचालित है।
- **सुरक्षित संस्थान (Place of Safety)** – किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-49 के आलोक में 18 वर्ष से ऊपर के विधि विवादित बच्चों एवं 16–18 वर्ष के जघन्य अपराध करने वाले बच्चों को सुरक्षित संस्थान में रखे जाने का प्रावधान है।
- **खुला आश्रय (Open Shelter)** – शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों विशेषतया भिखारियों, आवारा तथा कामकाजी बच्चों, कुड़ा बीनने वाले बच्चों, छोटे विक्रेताओं, घूम-घूमकर तमाशा दिखाने वाले बच्चों, अनाथ बच्चों, परिष्कृत बच्चों, भागे हुए बच्चों तथा किसी अन्य संवेदी समूह के बच्चों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य में प्रमंडल स्तर पर 9 खुला आश्रयों का संचालन समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।
- **विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (Specialized Adoption Agency)** – दत्तकग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं बच्चों को आवासन हेतु राज्य के 24 जिलों में कुल 25 विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान का संचालन समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत किया जा रहा है। विशिष्ट दत्तक संस्थान में आवासित बच्चों एवं दत्तकग्रहण माता-पिता से संबंधित आँकड़ों का संधारण CARINGS प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
- **पालना केन्द्र शिशु स्वागत केन्द्र** – गैर कानूनी दत्तक ग्रहण को रोकने एवं कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने तथा बच्चों के सुरक्षित परित्याग सुनिश्चित करने हेतु सभी जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नर्सिंग होम/अन्य संस्थानों में 10–15 पालना लगाये गए हैं। प्रायः ऐसा देखा जा जाता है कि अनचाहे नवजात शिशुओं को सड़क किनारे/डस्टबीन/रेलवे लाईन/खेत/झाड़ी/सार्वजनिक स्थानों पर फेंक दिया जाता है तथा ये बच्चों किसी जानवर का शिकार हो जाते हैं अथवा ज्यादा देरी होने के कारण शिशु की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अब अनचाहे बच्चों को पालना केन्द्र में छोड़ा जा सकता है। इन पालना केन्द्र को नजदीकी विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान से जोड़ा गया है। इस माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 12 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है।
- **विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit)** – सभी 44 पुलिस जिले में SJPU का गठन किया जा चुका है। बाल कल्याण समिति (CWC), किशोर न्याय परिषद (JJB), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) एवं सरकार द्वारा संचालित गृहों में रिक्त पदों पर नियोजन की जा रही है।

- **किशोर न्याय सचिवालय/बाल मित्र विशेष न्यायालय** – उच्च न्यायालय, पटना में किशोर न्याय सचिवालय की स्थापना की गई है। पटना सिविल कोर्ट में बिहार के पहले विशेष न्यायालय/बाल मित्र विशेष न्यायालय का उद्घाटन किया जा चुका है। साथ ही बिहार के अन्य सभी जिलों में विशेष न्यायालय/बाल मित्र न्यायालय की स्थापना की गई है।

परवरिश:

परवरिश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित लक्षित के 0–18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को समाज में बेहतर पालन-पोषण एवं उनकी गैर सांस्थानिक देख-रेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता के रूप में ₹1,000 / – प्रतिमाह की दर से डी.बी.टी. के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना अंतर्गत कुल 16,385 बच्चों को अच्छादित किया गया है। इस योजना की पात्रता निम्नवत है :

- (क) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हों, जिनकी वार्षिक आय ₹60,000 / – से कम हो अथवा गरीबी रेखा के अधीन हो।
- (ख) एच.आई.वी. (Positive) Visible Deformities Grade-ii अथवा कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोगों से पीड़ित माता/पिता की संतानें।
- (ग) इसके अतिरिक्त इस योजना की पात्रता में संशोधन करते हुए वैसे बच्चे अनाथ एवं बेसहारा बच्चे माने जायेंगे जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण से अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे के परवरिश करने में असमर्थ हो गए हों परन्तु, ऐसी बाध्यकारी परिस्थिति के समाप्त हो जाने पर उनकी पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग:

बाल अधिकार, विशेषतया पारिवारिक संरक्षण से वंचित यथा निराश्रित, उपेक्षित, अनैतिक पणन के शिकार, शोषण के शिकार बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 17(2) के विभागीय संकल्प सं.- 2028 दिनांक- 23.12.2008 द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। बिहार राज्य में 2010 से एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यरत रहा है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण तथा उनके अधिकारों के हनन के मामले में आयोग ने अपने कर्तव्य एवं दायित्वों को पूर्ण संवेदनशीलता एवं विधिसम्मत रूप से कार्य किया है। बाल अधिकार के हनन के मामले में पारदर्शी जाँच, अनुशंसा एवं त्वरित न्याय के लिए जो भी शक्तियाँ इसे प्राप्त हैं, उसका उपयोग करते हुए इसने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।

स्वास्थ्य विभाग

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम- इस कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 0–18 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच कर उन्हें आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवायें एवं रेफरल सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य जाँच हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आधार पर चलन्त चिकित्सा दलों का गठन किया गया है, जो अपने क्षेत्र में आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य-जाँच करते हैं एवं बच्चों को स्वास्थ्य-कार्ड का वितरण करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में गुणात्मक वृद्धि लाना, विकार युक्त बच्चों का समुचित इलाज कर उनमें अंतर्निहित शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता को उजागर करना शामिल है।

‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम’ के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन लक्ष्य समूह हैं जिन्हें संस्थागत प्रसव स्थलों, समुदाय, आँगनबाड़ी केन्द्र एवं विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य जाँच की सुविधा प्रदान की जाती है। जाँच हेतु जन्म से 18 वर्ष के बच्चों को निम्न उपभागों में बाँट कर स्वास्थ्य-जाँच गतिविधि सम्पन्न की जाती है—

- (क) 0–6 सप्ताह के बच्चे।
- (ख) 6 सप्ताह से 6 वर्ष के बच्चे।
- (ग) 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे।

बच्चों को 22 प्रकार की शल्य चिकित्सा प्रदान करने हेतु राज्य के निम्नलिखित 09 मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के साथ करार किया गया है:—

• अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) पटना • इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) पटना • इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी (IGIC) पटना • पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) पटना दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) लहेरियासराय • जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (JLNMC) भागलपुर • नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) पटना • अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ANMMCH) गया • श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (SKMCH) मुजफ्फरपुर।

संस्थान आधारित नवजात शिशु देखभाल इकाई— राज्य में शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु Facility Based Newborn Care (FBNC) के तहत सभी जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में SNCU की स्थापना, अनुमंडलीय एवं रेफरल अस्पताल में Newborn Stabilization Unit की स्थापना कर संचालित किया जा रहा है, जिसके द्वारा बीमार शिशुओं को विशेष सेवा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य के कार्यरत विशेष नवजात देखभाल इकाई में कंगारू मदर केयर वार्ड स्थापित किया जाना है। राज्य के 20 जिला अस्पताल में पेडियाट्रिक यूनिट स्थापित कर संचालित किया जा रहा है। बच्चों में निमोनिया के रोकथाम हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में सांस कार्यक्रम क्रियान्वित करने की योजना है।

नवजात शिशु की घर पर देखभाल— आशा को नवजात शिशु एवं प्रसूता माँ की देखभाल हेतु गृह भ्रमण करने के लिए ₹250/— का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। संस्थागत प्रसव के मामले में छह दौरे (तीसरे, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें और 42वें दिन) तथा घर पर प्रसव के मामले में सात दौरे (पहले, तीसरे, 7वें, 14वें, 21वें 28वें और 42वें दिन) आशा द्वारा गर्भवती महिला एवं धात्री माता की लाइनलिस्ट तैयार कर माइक्रोप्लान बनाना एवं तदनुसार प्रति माह 5–8 उक्त माताओं के समूह के साथ तीन बार बैठक करना है। इस तरह प्रत्येक तीन माह में कुल 9 बैठकों का आयोजन किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को ₹100/— प्रति तिमाही प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के दौरान आशा कार्यकर्ता द्वारा अपने क्षेत्र के कम-से कम 80 प्रतिशत घरों का भ्रमण, माइक्रोप्लान के अनुसार जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का लाइनलिस्ट तैयार कर ए.एन.एम. को समर्पित करने एवं ओ.आर.एस. का वितरण करने के उपरांत उसे ₹100/— प्रोत्साहन राशि देय होगी।

राज्य के 13 Aspirational District में HBYC कार्यक्रम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक शिशुओं का 15 माह तक गृह भ्रमण क्रमशः तीसरा, छठा, 9वां, 12वां, 15वां महीना में किया जाना है। प्रत्येक आशा कार्यकर्ता द्वारा पांच सफल भ्रमण करने के पश्चात आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि (250 ₹0) देय है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम— कृमि मुक्ति के सफल संचालन के लिए सभी जिलों को प्रति आशा रुपये

100/— की दर से दो राउण्ड हेतु राशि उपलब्ध कराया गया है। उक्त राशि का भुगतान आशा कार्यकर्ता द्वारा अपने क्षेत्र के 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों का लाइनलिस्ट तैयार कर ए.एन.एम. को समर्पित करने के उपरांत देय है।

एन.आर.एच.एम. अंतर्गत पोषण पुनर्वास केन्द्र— गंभीर कुपोषित बच्चे जिनमें चिकित्सकीय जटिलता हो, उनकी मृत्यु को रोकने तथा समुचित देखभाल हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गयी है। भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में पोषण पुनर्वास केन्द्र में चिकित्सीय जटिलताओं के साथ अति गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती किया जाना है तथा समुचित उपचार एवं देखभाल के पश्चात् वजन में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें घर भेजा जाना है तत्पश्चात् उनका अनुवर्तन (Follow up) भी किया जाना है।

एनीमिया मुक्त बिहार कार्यक्रम— इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में किया जाना है। दिशा निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को सप्ताह में दो बार सीरप तथा 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में एक बार आई.एफ.ए. गोली का अनुपूरण किया जाना है। आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के 6 माह से 10 वर्ष तक बच्चों की लाइनलिस्ट रजिस्टर में संधारण करेगी तथा कुल लाइनलिस्ट किये गये बच्चों की संख्या का कम-से-कम 70 प्रतिशत बच्चों का आई.एफ.ए. सीरप एवं गोली का अनुपूरण के उपरांत ₹100/— प्रति माह की दर से एक वर्ष में दो बार, छः माह के अंतराल पर कुल ₹600/— (₹600/— वर्ष में दो बार ₹1,200/—) रुपये देय है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना— राज्य में बालिका मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से इस योजना अंतर्गत कन्या के जन्म के उपरांत टीकाकरण हेतु ₹ 2,000/— की दर से बच्ची के अभिभावक को लाभान्वित किया जा रहा है।

बाल-कल्याण बजट 2020-21 विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

माँग सं.	विभाग का नाम	2018-19 (वास्तविकी)	2019-20 (बजट प्राक्कलन)	2020-21 (बजट प्राक्कलन)
8	कला, संस्कृति एवं युवा	893.65	1350.00	1520.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	101402.45	128091.31	133119.60
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	7.68	89.38	12.13
20	स्वास्थ्य	20527.97	38763.99	38617.85
21	शिक्षा	2325123.34	2916002.09	2983606.78
22	गृह	0.67	0.00	306.63
26	श्रम संसाधन	242.57	752.67	761.17
30	अल्पसंख्यक कल्याण	6692.56	6600.00	10600.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	32456.33	37352.10	69465.00
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	95377.18	123215.68	133529.12
51	समाज कल्याण	272544.85	352876.61	354219.23
योग		2855269.26	3605093.83	3725757.51

बाल-कल्याण बजट 2020-21 विभागवार विवरणी
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

(राशि लाख रुपये में)

माँग सं.	विभाग का नाम	2018-19 (वास्तविकी)	2019-20 (बजट प्राक्कलन)	2020-21 (बजट प्राक्कलन)
8	कला, संस्कृति एवं युवा	411.29	500.00	500.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	1171.88	1461.31	1581.6
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	0.43	0.68	2.63
21	शिक्षा	889244.36	960699.14	974175.78
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	13167.18	17316.68	18149.12
51	समाज कल्याण	381.29	709.67	769.30
योग		904376.43	980687.48	995178.43

बाल-कल्याण बजट 2020-21 विभागवार विवरणी
राज्य स्कीम

(राशि लाख रुपये में)

माँग सं.	विभाग का नाम	2018-19 (वास्तविकी)	2019-20 (बजट प्राक्कलन)	2020-21 (बजट प्राक्कलन)
8	कला, संस्कृति एवं युवा	482.36	850.00	1020.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	93921.14	119580.00	124115.00
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	7.25	86.70	9.50
20	स्वास्थ्य	2788.27	0.00	5000.00
21	शिक्षा	120256.56	263809.71	304518.00
26	श्रम संसाधन	242.57	752.67	761.17
30	अल्पसंख्यक कल्याण	6692.56	6500.00	10500.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	24285.28	20102.10	54465.00
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	81986.36	100184.00	112065.00
51	समाज कल्याण	26059.11	28263.12	30121.38
योग		356721.46	540128.30	642575.05

बाल-कल्याण बजट 2020-21 विभागवार विवरणी
केन्द्र प्रायोजित स्कीम

(राशि लाख रुपये में)

माँग सं.	विभाग का नाम	2018-19 (वास्तविकी)	2019-20 (बजट प्राक्कलन)	2020-21 (बजट प्राक्कलन)
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	6309.43	7050.00	7423.00
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	0.00	2.00	0.00
20	स्वास्थ्य	17739.70	38763.99	33617.85
21	शिक्षा	1315622.42	1691493.24	1704913.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण	0.00	100.00	100.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8171.05	17250.00	15000.00
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	223.64	5715.00	3315.00
51	समाज कल्याण	246104.45	323903.82	323328.55
योग		1594170.69	2084278.05	2087697.40

बाल-कल्याण बजट 2020-21 विभागवार विवरणी
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम

(राशि लाख रुपये में)

माँग सं.	विभाग का नाम	2018-19 (वास्तविकी)	2019-20 (बजट प्राक्कलन)	2020-21 (बजट प्राक्कलन)
22	गृह	0.67	0.00	306.63
योग		0.67	0.00	306.63

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय					
1	08-2204001040001	विद्यालय खेलकूद	411.29	500.00	500.00
योग			411.29	500.00	500.00
राज्य स्कीम					
2	08-2204001040102	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत खेल प्रतियोगिता	482.36	850.00	1020.00
योग			482.36	850.00	1020.00
महायोग			893.65	1350.00	1520.00

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय					
1	11-2225032770010	पिछड़ी जातियों के लिए 12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	1102.91	1400.65	1504.39
2	11-2225032770002	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों का संधारण	43.97	35.66	52.21
3	11-2225032770001	परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	25.00	25.00	25.00
योग			1171.88	1461.31	1581.60
राज्य स्कीम					
4	11-2225031970101	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	4575.78	10400.00	10400.00
5	11-2225031980101		16840.36	19900.00	19900.00
6	11-2225032770101	छात्रवृत्ति वजीफा	65015.00	80100.00	80100.00
7	11-4225032770101	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण एवं जीर्णोद्धार	90.00	180.00	215.00
8	03-4059800510118	पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	7400.00	9000.00	13500.00
योग			93921.14	119580.00	124115.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
9	11-2225032770215	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	4000.00	4100.00	4500.00
10	11-2225032770214	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1121.29	1150.00	1195.00
11	11-2225032770314		1188.14	1150.00	1195.00
12	11-2225032770212	अनाधिसूचित घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु जनजातियों के विकास	0.00	100.00	10.00
13	11-2225032770312		0.00	30.00	3.00
14	11-4225032770202	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास का निर्माण	0.00	400.00	400.00
15	11-4225032770302		0.00	120.00	120.00
योग			6309.43	7050.00	7423.00
महायोग			101402.45	128091.31	133119.60

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय					
1	19-2406011010001	उद्यान	0.43	0.68	2.63
योग			0.43	0.68	2.63
राज्य स्कीम					
2	19-2406018000105	बच्चों के लिए पार्क	7.25	78.19	5.00
3	19-2406017890103		0.00	8.51	4.50
योग			7.25	86.70	9.50
केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
4	19-2406041010305	बच्चों का संपूर्ण विकास कार्यक्रम	0.00	0.60	0.00
5	19-2406047890301		0.00	0.20	0.00
6	19-2406041010205		0.00	0.80	0.00
7	19-2406047890201		0.00	0.40	0.00
योग			0.00	2.00	0.00
महायोग			7.68	89.38	12.13

स्वास्थ्य विभाग

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
राज्य स्कीम					
1	20-2211001030102	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत संपूर्ण टीकाकरण	2788.27	0.00	5000.00
योग			2788.27	0.00	5000.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
1	20-2210012000209 20-2210031100203 20-2210012000309 20-2210031100303	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	2579.23	3735.29	4025.61
2		संस्थान आधारित नवजात शिशु देखभाल इकाई	386.13	3876.80	1421.40
3		समुदाय आधारित नवजात शिशु देखभाल इकाई	2716.00	7656.52	6916.30
4		राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	716.06	2673.84	2766.90
5		पोषण पुनर्वास केन्द्र	350.28	560.50	718.43
6		नियमित टीकाकरण	8240.00	14156.47	14418.59
7		पल्स पोलियो अभियान	2752.00	6104.57	3350.62
योग			17739.70	38763.99	33617.85
महायोग			20527.97	38763.99	38617.85

शिक्षा विभाग

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय					
1	21-2202011010001	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	387976.98	430640.66	401974.30
2	21-2202011020001	गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	2348.42	3674.88	3674.88
3	21-2202011120002	मध्याह्न भोजन योजना	251.68	380.50	400.70
4	21-2202011910001	नगर निगम को सहायता	4798.52	4490.47	4450.47
5	21-2202011920001	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	4996.42	4290.84	4934.47
6	21-2202011930001	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य का सहायता	7158.15	4578.27	5265.01
7	21-2202011970002	ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर के पंचायतों को सहायता	184939.20	187200.00	215280.00
8	21-2202011980002	ग्राम पंचायतों को सहायता	2610.77	2395.82	2754.26
9	21-2202020530001	माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार	2.85	0.00	1.00
10	21-2202021090001	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	89177.10	108874.91	109618.14
11	21-2202021100002	सैनिक विद्यालय	51.28	200.01	800.01
12	21-2202021100003	माध्यमिक बहुद्देशीय अल्पसंख्यक विद्यालय	6250.82	7200.00	8000.04
13	21-2202021100006	सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय	808.00	581.10	581.11
14	21-2202021100007	गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता	33000.00	33000.00	34200.00
15	21-2202021910001	नगर निगम को सहायता	10457.97	12400.00	12772.00
16	21-2202021920001	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	10092.63	11726.00	12077.79
17	21-2202021930001	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य का सहायता	9165.40	7842.91	8078.19
18	21-2202021960001	जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक	92048.33	89452.41	92135.98

क्र.सं.	विपन्न कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय					
19	21-2202031030001	इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा)	4174.68	4863.20	4814.19
20	21-2202051030002	राजकीय संस्कृत विद्यालय	213.89	374.95	417.54
21	21-2202051030003	गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय	8392.22	10055.11	15000.02
22	21-2202052000001	मदरसा इस्लामियां समसूल होदा	95.77	196.82	142.37
23	21-2202052000002	गैर सरकारी मदरसा	23179.34	27500.00	27500.01
24	21-2202800030005	अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय	511.51	631.53	747.42
25	21-2202800030006	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	3736.45	4580.65	4784.19
26	21-2202800030007	प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	343.58	400.48	387.04
27	21-2202800030008	प्राथमिक शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान	2039.96	2752.03	2965.01
28	21-2205001050001	सार्वजनिक पुस्तकालय	201.44	174.46	202.13
29	21-2205001050002	सिन्हा लाइब्रेरी	42.00	37.12	20.00
30	21-2205001050003	श्री कृष्ण सेवा सदन लाइब्रेरी	0.00	26.00	27.50
31	21-2205001050004	प्रमंडलीय पुस्तकालय	35.00	35.00	37.00
32	21-2205001050005	जिला केन्द्रीय पुस्तकालय	48.00	48.00	44.00
33	21-2205001050006	अनुमंडलीय पुस्तकालय	18.00	18.00	18.00
34	21-2205001050007	विशिष्ट पुस्तकालय	78.00	28.00	27.00
35	21-2205001050009	खुदाबक्श खाँ ओरियंटल लाइब्रेरी	0.00	4.00	4.00
36	21-2205001050010	श्री शारदा सदन पुस्तकालय	0.00	0.01	0.01
37	21-2205001050011	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय	0.00	45.00	40.00
योग			889244.36	960699.14	974175.78
राज्य स्कीम					
35	21-2202010010107	किलकारी	399.85	650.00	1500.00
36	21-2202011020102	शिक्षा का अधिकार	327.40	5000.00	10000.00
37	21-2202011090101	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (सामान्य कोटि)	4232.10	10000.00	3300.00
38	21-2202017890102	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (अनुसूचित जाति)	1261.14	3000.00	1200.00
39	21-2202011090102	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	8124.86	12500.00	5500.00
40	21-2202011090103	मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण	2593.40	3000.00	5845.00

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
राज्य स्कीम					
41	21-2202021070105	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (सामान्य कोटि)	10676.82	15097.34	12500.00
42	21-2202027890101	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (अनुसूचित जाति)	2388.84	4800.00	5000.00
43	21-2202021070106	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	12231.83	15719.14	13500.00
44	21-2202027890102	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (अनुसूचित जाति)	1492.41	5000.00	5000.00
45	21-2202021070107	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	9884.73	12687.00	10500.00
46	21-2202031070104	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (इंटरमीडिएट)	2967.72	3400.00	2000.00
47	21-2202027890104	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (अनुसूचित जाति)	1970.41	2996.00	5000.00
48	21-2202021070108	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	12102.27	12478.00	13725.00
49	21-4202012020103	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	10858.12	27850.20	21010.00
50	21-4202017890101		5304.35	4159.80	10000.00
51	21-4202012020109		2900.00	10100.00	10500.00
52	21-2202021090105	आई0 सी0 टी0 परियोजना	0.00	100.00	100.00
53	21-2204001010103	मध्य विद्यालय की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.00	0.01	1.00
54	21-2204001040108	बिहार सबजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग	0.00	0.02	2.00
55	21-2202020040102	हुनर	1000.00	1000.00	4000.00
56	21-2202020520103	उन्नयन कार्यक्रम	1976.28	1000.00	1000.00
57	21-2202031070108	मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट उर्तीण) प्रोत्साहन योजना	0.00	27484.00	35000.00
58	21-2202021070108	मुख्यमंत्री (मैट्रिक उर्तीण) प्रोत्साहन/ छात्रवृत्ति योजना	12102.27	12478.00	13725.00
59	21-2202011090105	प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्तियाँ	9337.24	12500.00	12500.00
60	21-2202021090109	किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना	5398.43	6000.00	6000.00
61	21-2202021090110	मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	363.09	1150.00	1200.00
62	21-2202011120104	मध्याह्न भोजन योजना	0.00	32550.20	42600.00
63	21-2202021030101	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	363.00	100.00	500.00

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
राज्य स्कीम					
64	21-4202012010105	प्रारंभिक विद्यालय भवन निर्माण	0.00	20000.00	37500.00
65	21-4202012020112	शिक्षा भवन निर्माण	0.00	300.00	1500.00
66	21-4202012020113	समुलतल्ला आवासीय विद्यालय	0.00	200.00	5000.00
67	21-4202012020114	मॉडल स्कूल	0.00	10.00	10.00
68	21-2202010010105	शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	0.00	500.00	500.00
69	21-4202012010106	जल-जीवन-हरियाली	0.00	0.00	5000.00
70	21-4202012020115		0.00	0.00	2300.00
योग			120256.56	263809.71	304518.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
71	21-2202011110201	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) केन्द्रांश	228140.56	537368.04	536405.00
72	21-2202017890203	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) केन्द्रांश एस०सी०कम्पोनेंट	57585.41	122992.92	105000.00
73	21-2202017960211	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) केन्द्रांश एस०टी०कम्पोनेंट	0.00	918.54	7500.00
74	21-2202011110301	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) राज्यांश	152093.32	150142.81	142978.00
75	21-2202017890308	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) राज्यांश एस०सी०कम्पोनेंट	40629.58	81995.28	79800.00
76	21-2202017960309	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) राज्यांश एस०टी०कम्पोनेंट	2584.13	17861.33	2500.00
77	21-2202011110302	सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	591845.64	517990.24	472795.00
78	21-2202011120203	मध्याह्न भोजन योजना (केन्द्रांश) (एम०डी०एम०)	112448.94	89361.95	106347.00
79	21-2202017890209	मध्याह्न भोजन योजना (केन्द्रांश) (एम०डी०एम०) एस०सी०कम्पोनेंट	0.00	40000.00	24231.00
80	21-2202017960210	मध्याह्न भोजन योजना (केन्द्रांश) (एम०डी०एम०) एस०टी०कम्पोनेंट	0.00	361.55	4038.00
81	21-2202011120303	मध्याह्न भोजन योजना (राज्यांश) (एम०डी०एम०)	93594.00	55000.00	61740.00

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
82	21-2202017890306	मध्याह्न भोजन योजना (राज्यांश) (एम०डी०एम०) एस०सी०कम्पोनेंट	9858.49	20000.00	14067.00
83	21-2202017960310	मध्याह्न भोजन योजना (राज्यांश) (एम०डी०एम०) एस०टी०कम्पोनेंट	0.00	167.58	2345.00
84	21-2202021090207	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (केन्द्रांश)	6649.44	22000.00	55663.00
85	21-2202027890207	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (केन्द्रांश) एस०सी०कम्पोनेंट	0.00	4500.00	30000.00
86	21-2202027960209	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (केन्द्रांश) एस०टी०कम्पोनेंट	0.00	500.00	2500.00
87	21-2202021090307	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (राज्यांश)	5737.30	12000.00	10133.00
88	21-2202027890307	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (राज्यांश) एस०सी०कम्पोनेंट	0.00	5500.00	20000.00
89	21-2202027960309	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (राज्यांश) एस०टी०कम्पोनेंट	0.00	500.00	1881.00
90	21-2202021090312	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	7461.61	10000.00	12000.00
91	21-2202042000203	अध्यापक शिक्षा संस्थान (केन्द्रांश)	0.00	1400.00	857.00
92	21-2202047890203	अध्यापक शिक्षा संस्थान (केन्द्रांश) एस०सी०कम्पोनेंट	0.00	0.00	150.00
93	21-2202047960204	अध्यापक शिक्षा संस्थान (केन्द्रांश) एस०टी०कम्पोनेंट	0.00	0.00	100.00
94	21-2202042000303	अध्यापक शिक्षा संस्थान (राज्यांश)	0.00	933.00	588.00
95	21-2202047890301	अध्यापक शिक्षा संस्थान (राज्यांश) एस०सी०कम्पोनेंट	0.00	0.00	100.00
96	21-2202047960301	अध्यापक शिक्षा संस्थान (राज्यांश) एस०टी०कम्पोनेंट	0.00	0.00	50.00
97	21-2202042000204	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन साक्षर भारत (केन्द्रांश)	0.00	0.00	6687.00
98	21-2202042000304	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन साक्षर भारत (राज्यांश)	6994.00	0.00	4458.00
योग			1315622.42	1691493.24	1704913.00
महायोग			2325123.34	2916002.09	2983606.78

गृह विभाग

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम					
1	22-4055002100402	महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साईबर क्राईम की रोकथाम (सी.सी.पी.डब्लू.सी.)	0.67	0.00	229.33
2	22-2055000030401		0.00	0.00	77.30
योग			0.67	0.00	306.63

श्रम संसाधन विभाग

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
राज्य स्कीम					
1	26-2230011030103	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	166.89	246.70	246.70
2	26-2230017890104		5.00	10.20	17.00
3	26-2230017960102		0.23	2.55	4.25
4	26-2235012020107		70.45	493.22	493.22
योग			242.57	752.67	761.17

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
राज्य स्कीम					
1	30-2225042770101	राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3279.04	2500.00	3000.00
2	30-2202021070109	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	3413.52	4000.00	7500.00
योग			6692.56	6500.00	10500.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
3	30-2202021070210	केन्द्रीय छात्रवृत्ति स्कीम (प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति)	0.00	100.00	100.00
योग			0.00	100.00	100.00
महायोग			6692.56	6600.00	10600.00

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
राज्य स्कीम					
1	36-2215011020106	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	6225.00	1095.00	1245.00
2	36-2215017890104		1199.31	390.00	240.00
3	36-2215017960105		75.00	15.00	15.00
4	36-4215011020101	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	43.84	375.00	525.00
5	36-4215011020103		293.32	323.70	285.75
6	36-4215011020116	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का विकास	0.00	410.10	75.00
7	36-4215011020132	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	13846.83	14011.80	42904.20
8	36-4215017890111	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	59.81	62.40	252.00
9	36-4215017890114	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	2433.22	3065.70	8270.40
10	36-4215017960107	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	9.00	3.90	17.25
11	36-4215017960119	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	99.95	172.50	515.40
12	36-4215021060104	शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	0.00	72.00	15.00

क्र. सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
राज्य स्कीम					
13	36-4215017960120	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	105.00	105.00
योग			24285.28	20102.10	54465.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
14	36-4215011020230	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2799.48	4440.00	7470.00
15	36-4215011020231	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम	750.00	5250.00	0.00
16	36-4215011020330	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2908.19	4980.00	4980.00
17	36-4215017890212	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	799.04	1432.65	1440.00
18	36-4215017890312		810.29	960.00	960.00
19	36-4215017960217	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	50.15	127.35	90.00
20	36-4215017960317		53.90	60.00	60.00
योग			8171.05	17250.00	15000.00
महायोग			32456.33	37352.10	69465.00

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय					
1	44-2225011970001	मुशहर/भुईयां एवं	0.00	15.00	15.00
2	44-2225011970002	अस्वच्छ कार्य में लगें	0.00	15.00	15.00
3	44-2225011980001	लोगों के बच्चों को	0.00	50.00	50.00
4	44-2225012770007	छात्रवृत्ति	0.00	200.00	200.00
5	44-2225012770011	परीक्षा शुल्क क्षतिपूर्ति	80.00	80.00	300.00
6	44-2225022770001		16.77	5.00	30.00
7	44-2225012770003	अनु. जाति आवासीय विद्यालय संधारण	10570.19	13340.96	13772.12
8	44-2225012770002	अनु. जाति छात्रावास संधारण	616.66	967.25	1090.22
9	44-2225022770004	अनु. जनजाति आवासीय विद्यालय संधारण	1831.43	2500.88	2524.55
10	44-2225022770003	अनु. जनजाति छात्रावास संधारण	52.13	142.59	152.23
योग			13167.18	17316.68	18149.12
राज्य स्कीम					
11	44-2225011970101	विद्यालय छात्रवृत्ति	5727.84	7710.73	13900.00
12	44-2225011980101	विद्यालय छात्रवृत्ति	9623.89	14391.00	26050.00
13	44-2225012770107	विद्यालय छात्रवृत्ति/ मेधावृत्ति योजना	21530.27	25159.55	34454.00
14	44-2225021970101	विद्यालय छात्रवृत्ति	957.11	1438.00	605.00
15	44-2225021980101	विद्यालय छात्रवृत्ति	903.50	5317.12	1855.00
16	44-2225022770101	विद्यालय छात्रवृत्ति/ मेधावृत्ति योजना	2821.62	3770.10	1516.00
17	44-2225022770106	आवासीय विद्यालय संधारण	0.00	350.00	250.00

क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
राज्य स्कीम					
18	44-2225012770101	आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में	816.49	1841.00	2600.00
19	44-2225022770101	उपस्कर की आपूर्ति	172.87	530.00	535.00
20	03-4059017890101	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास निर्माण	24658.52	26156.72	30000.00
21	03-4059017960104	एवं जीर्णोद्धार	14774.25	13519.78	300.00
योग			81986.36	100184.00	112065.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
22	44-2225012770222	अनु. जाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	70.55	5000.00	2500.00
23	44-2225022770214	अनु. जनजाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति / मेरिट उन्नयन योजना।	153.09	715.00	10.00
24	44-2225022770217	अनु. जनजाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	0.00	805.00
योग			223.64	5715.00	3315.00
महायोग			95377.18	123215.68	133529.12

समाज कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय					
1	51-2235021060001	प्रतिप्रेक्षण गृह	312.33	550.19	598.26
2	51-2235021060008	बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद्	68.96	159.48	171.04
योग			381.29	709.67	769.30
राज्य स्कीम					
3	51-2235021030111	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना	8061.55	6960.00	4000.01
4	51-2235027890109		1610.63	3040.00	3999.99
5	51-2235021060107	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	350.00	430.00	294.96
6	51-2235021060106	बाल दोषी अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (बाल संरक्षण इकाई)	914.14	1700.00	1800.00
7	51-2235021020116	परवरिश	1791.00	1900.00	2200.00
8	51-4235021020109	आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण एवं उत्क्रमर्नि	0.00	0.00	0.02
9	51-2235021020117	आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना	10350.60	10674.84	13369.80
10	51-2235027890103		2981.19	3558.28	4456.60
योग			26059.11	28263.12	30121.38
केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
11	51-2235021020223	समेकित बाल संरक्षण योजना	2621.87	8000.00	3499.98
12	51-2235021020323		3718.73	1900.00	2799.98

क्र. सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 (बजट वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बजट प्राक्कलन)
केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
13	51-2235021020222	आई.सी.डी.एस. स्थापना (केन्द्रांश:राज्यांश 25:75:60:40)	37028.92	85415.65	77112.55
14	51-2235021020322		39290.74	25324.52	23327.63
15	51-2236021010203	पूरक पोषाहार (केन्द्रांश:राज्यांश 50:50)	52723.06	75836.17	89911.04
16	51-2236027890204		13057.77	52091.04	53725.39
17	51-2236021010303		46890.14	0.01	0.01
18	51-2236027890304		25997.37	37542.43	35867.99
19	51-2236027960305		10225.89	7550.00	7524.00
20	51-2235021020224	किशोरियों के लिए योजना (केन्द्रांश:राज्यांश 60:40 / 50:50)	685.81	3018.78	433.92
21	51-2235021020324		464.03	699.74	0.02
22	51-2235027890312		117.49	233.24	0.01
23	51-4235021020208	आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निमाण एवं उत्क्रमर्नि (केन्द्रांश:राज्यांश 60:40)	2089.18	3082.70	2013.96
24	51-4235021020308		2242.06	0.02	0.02
25	51-2235021020225	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (केन्द्रांश:राज्यांश 60:40)	6004.20	19816.52	24019.60
26	51-2235021020325		2947.19	3303.00	3002.45
27	51-2235021020226	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (केन्द्रांश:राज्यांश 60:40)	0.00	60.00	60.00
28	51-2235021020326		0.00	30.00	30.00
योग			246104.45	323903.82	323328.55
महायोग			272544.85	352876.61	354219.23



बिहार सरकार

वित्त विभाग
बिहार सरकार